TDC-II(H)
PAPER–III

AMENDMENT PROCESS IN INDIAN CONSTITUTION

विश्व के प्रत्येक देशों के संविधानों में उस देश की जनता द्वारा स्वीकृत विश्वासों एवं नैतिक आदर्शों की झलक तो मिलती ही है साथ में संविधान में जनता की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति होती है। अतः बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल उसमें ढलने की क्षमता आवश्यक है। अतः जिस देश के संविधान में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं वह आदर्श तथा उत्तम संविधान माना जाता है। इस संबंध में डा० सुभाष कश्यप का कथन उल्लेखनीय है – "संविधान ही राज्य के विभिन्न अंगों का गठन कर उसे शरीर देता है, शक्ति देता है। इस शारीरिक गठन और अंग व्यवस्था के पीछे राष्ट्र की राजनीतिक समाजिक अवस्थाओं, आकांक्षाओं की प्रेरणा होती है। प्रत्येक नयी पीढ़ी और नये युग के साथ कुछ नई चेतनाओं, प्रेरणाओं का जन्म होता है। किसी भी संविधान की महानता उसी में है कि नष्ट हुये बिना बदलती हुई ~~परिस्थिति~~ सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप ढाला जा सके। इसके लिये आवश्यक है कि संविधान में आंतरिक दृढ़ता के साथ एक लोच या लचीलापन हो, एक नम्यता और परिवर्तनशीलता हो।" M.V. Paylee ने भी संविधान में समयानुकूल परिवर्तन पर जोर दिया है।

The Amendment Procedure –

भारतीय संविधान अपनी निराली संशोधन प्रक्रिया के फलस्वरूप नम्यता और अनम्यता का सामंजस्य प्रस्तुत करता है। Pt. Nehru ने ठीक ही कहा था – "The constitution should not be so rigid that it can not be adopted to the changing needs of the people." डा० अम्बेडकर ने कितना सही कहा है – "मैं अनुभव करता हूँ कि यह संविधान व्यवहारिक है, लचीला है और शांतिकाल व युद्ध काल में देश की एकता बनाये रखने का सामर्थ्य है। वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माता यह चाहते थे कि संविधान बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप कदम से कदम मिलाकर चल सके। परन्तु इतना लचीला न बन जाय कि शासक दल का खिलौना बन जाय। अतः उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया।

Amendment Process by Simple majority →

भारतीय संविधान में संशोधन की यह प्रक्रिया सर्वाधिक सरल है और सैद्धांतिक दृष्टि से British Amendment

P.T.O.

Scanned with CamScanner

Process से मिलती जुलती है। इस प्रक्रिया के अनुसार संसद साधारण बहुमत द्वारा संविधान के कुछ अनुच्छेदो में संशोधन कर सकती है। दोनो सदनो द्वारा साधारण बहुमत से पास होने के बाद अंतिम रूप से उस धारा पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। ऐसे अनुच्छेद निम्नलिखित है —

1) भारत संघ के विभिन्न इकाइयों के नाम, आकार तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन।
2) विभिन्न राज्यों में विधान परिषद बनाना और तोड़ना।
3) ~~सदस्यो~~ संसद के गणपूर्ति, सदस्यो के विशेषाधिकारों तथा उनके वेतन भत्ते।
4) उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायधीशो के वेतन
5) भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रश्न।
6) भारत में चुनाव संबंधी व्यवस्था।
7) केन्द्रशासित क्षेत्रो का प्रबंध
8) अनुसूचित जातियों एवं कों का संरक्षण
9) नियंत्रक एवं महालेखाकार के वेतन एवं भत्ते।

D. D. Basu ने संशोधन की उपर्युक्त व्यवस्था को संवैधानिक संशोधन के अनुरूप नही माना है। M. P. Sharma इन्हें व्यवहारिक दृष्टिकोण से संवैधानिक संशोधन की संज्ञा देते है।

Amendment Process by special majority → संशोधन की यह प्रक्रिया पहली प्रक्रिया से जटिल है। इसमें संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी सदन में उपस्थित किया जा सकता है। यदि वह विधेयक दोनो सदनो से अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारो एवं शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यवस्थाओं का संशोधन इसी प्रक्रिया से होता है।

Amendment Process by the ratification of State legislature → यह प्रक्रिया जटिल है तथा यह अमेरिकी संशोधन प्रक्रिया से मिलती जुलती है। यदि संविधान के निम्नलिखित उपबंधो में संशोधन की जरूरत पड़े तो संसद में उपर्युक्त तरीके से 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के लिये जाता है। कम से कम आधे विधानमंडलो का समर्थन आवश्यक है। इसके

Scanned with CamScanner

बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह संविधान का अंग बन जाता है। ① Art 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन ② Art 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली ③ Art 241 केन्द्रशासित प्रदेशों के लिये उच्च न्यायालय ④ Art 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की सीमा ⑤ भाग II का अध्याय 1 संघ तथा राज्यों के विधायी संबंध ⑥ भाग VI का अध्याय 5 राज्य का उच्च न्यायालय ⑦ Art 368 संविधान में संशोधन प्रक्रिया।

General Features of the amending process →

अन्य देशों में वर्णित संशोधन प्रक्रिया की तुलना में भारतीय संविधान में वर्णित संशोधन प्रक्रिया की कुछ निम्नलिखित विशेषतायें हैं —

1) संशोधन कार्य के लिये पृथक निकाय की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं की गई है।

2) राज्य विधानमंडल को संशोधन विधेयक प्रारंभ करने की शक्ति नहीं सौंपी गई है।

3) संविधान की धारा 368 में वर्णित कुछ उपबंधों के अलावा सभी धन विधेयक साधारण विधेयक की तरह पारित किया जाता है तथा आस्ट्रेलिया, फ्रांस स्विटजरलैण्ड आदि देशों की तरह referendum की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है।

4) संशोधन विधेयक संसद में पेश करने के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

संविधान लागू होने से अबतक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। बदलती हुई परिस्थितियों में सभी संशोधनों का वर्णन उपयुक्त नहीं होगा। D. D. Basu ने ठीक ही कहा है कि 42 वाँ और 44 वाँ संविधान संशोधन का कानूनी दुनिया पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि अन्य सभी संशोधन महत्वहीन हो गये। इसलिये D. D. Basu ने इन्हें Amendment की जगह Revision of the Constitution की संज्ञा दी है।

Scanned with CamScanner

चाहिये।

Criticism of Amending Process → यद्यपि संविधान निर्माताओं ने एक आदर्श संशोधन पद्धति अपनाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी जो पद्धति अपनायी गई है उसमें कुछ अस्पष्टतायें और त्रुटियाँ हैं। इसी कारण संशोधन प्रणाली की आलोचना की जाती है —

(1) राज्य विधानमंडलों से पुष्टि के लिये समय सीमा निर्धारित नहीं है — 24 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस आलोचना से बचा जा सकता है लेकिन फिर भी कुछ अस्पष्टतायें रह गयी है। संवैधानिक संशोधन विधेयक जब संसद द्वारा पारित कर राज्य विधानमंडल के पास भेजा जायेगा तो राज्य विधान मंडल कितने समय के अंदर विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगा। इसके समय का हिसाब नहीं है।

(2) संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने की व्यवस्था नहीं है — Art 107 के अंतर्गत दोनों सदनों में संशोधन के विधेयक पर विवाद होने पर राष्ट्रपति इस अनु० के अंतर्गत सम्मिलित बैठक बुला सकता है। परन्तु फिर भी मतभेद ~~होने पर~~ रहने पर विधेयक पर क्या असर पड़ेगा ऐसा संविधान में नहीं है।

(3) संविधान संशोधन विधेयक पर जनमत संग्रह का अभाव है।

Conclusion → संविधान में संशोधन की चर्चा गंभीर है। संशोधन पूरी जाँच के बाद होना चाहिये। संविधान में कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनसे कभी अलग नहीं होना चाहिये। इसमें गणतंत्रवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, समाजवाद तथा राष्ट्रीयता प्रमुख हैं। Dr. Finer ने संशोधन प्रणाली को ही संविधान की मूलभूत आत्मा माना है। अतः हर पीढ़ी को अपने भावना के ~~साथ~~ अनुसार संशोधन का अधिकार है।

Scanned with CamScanner

5.

हमारे देश में सत्ताधारी और विपक्ष दोनो संविधान में परिवर्तन के हिमायती हैं। वस्तुतः संवैधानिक संशोधन में सभी वर्गों और विचारो की राय ली जानी चाहिये। इसके द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों में नाहक कटौती नही की जानी चाहिये। पूर्व विधि मंत्री श्री अशोक कुमार सेन् ने lok Sabha में ठीक ही कहा था कि —

"संविधान के वृहत लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिये उसपर दृढ़ दिल से विचार किया जाना चाहिये और व्यापक जनमत के परिप्रेक्ष्य में ही निर्णय लिया जाना चाहिये।

— x —

Scanned with CamScanner